कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः –प–3(5) प्रशि./फोर्स/2017/4743 दिनांक : 6/6/2017

स्थाई आदेश क्रमांक 8 /2017

राज्य सरकार की विज्ञप्ति संख्या एफ.2/डी0ओ0पी0/ए–2/84 दिनांक 14.08.1989 के द्वारा राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के प्रख्यापन होने के फलस्वरूप उक्त नियमावली के नियम 29 (2) मे प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए पूर्व मे प्रसारित स्थाई आदेश संख्या 05/1997 के अतिक्रमण मे हैड कानिस्टेबल (सीपी) से सहायक उप निरीक्षक (सीपी) के पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित योग्यात्मक परीक्षा के लिए संलग्न पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है।

5/6/17
(मनोज भट्ट)
महानिदेशक पुलिस
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. महानिदेशक पुलिस, ए.सी.बी. राजस्थान।
2. समस्त अति. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
3. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी/एस.सी.आर.बी जयपुर।
4. पुलिस आयुक्त जयपुर एवं जोधपुर/समस्त महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
5. समस्त उप महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
6. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय जी.आर.पी. अजमेर/जोधपुर।
7. पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय भण्डार पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रधानाचार्य आर.पी.टी.सी जोधपुर/पीटीएस किशनगढ़।
9. कमाण्डेन्ट, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, जोधपुर/किशनगढ/खैरवाड़ा/झालावाड़/अलवर/भरतपुर/बीकानेर/आर.पी.टी.सी जोधपुर/पी.सी.टी.एस जोधपुर/पी.एम.डी.एस बीकानेर।
10. समस्त कमाण्डेन्ट, आर.ए.सी मय आई.आर बटालियन/एम.बी.सी खैरवाड़ा/एस.डी.आर.एफ/हाडीरानी महिला बटालियन/ जेल बटालियन।

5/6/17
(नन्द किशोर)
अति. महानिदेशक पुलिस
(प्रशिक्षण) राजस्थान, जयपुर

योग्यात्मक पदोन्नति परीक्षा पाठ्यक्रम

सिविल पुलिस (सीपी)
हैड कानिस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक

I. लिखित परीक्षा — **150 अंक**

प्रश्न पत्र प्रथम	:– कानून एवं प्रक्रिया	50 अंक	(समय – 03.00 घण्टे)
प्रश्न पत्र द्वितीय	:– अनुसन्धान कार्य	50 अंक	(समय – 03.00 घण्टे)
प्रश्न पत्र तृतीय	:– व्यावहारिक पुलिस प्रक्रिया	50 अंक	(समय – 03.00 घण्टे)

नोट :– हैड कानि0 से सहायक उप निरीक्षक (सीपी) पद की योग्यात्मक प्रदोन्नति की लिखित परीक्षा यदि **Computer Based assessment** पद्धति से ली जाती है तो इस परीक्षा मे केवल एक प्रश्न पत्र होगा, जो 03.00 घण्टे समयावधि का होगा। इस प्रश्न पत्र मे 03 खण्ड (खण्ड – I- प्रथम प्रश्न पत्र, खण्ड – II- द्वितीय प्रश्न पत्र, खण्ड – III- तृतीय प्रश्न पत्र) होंगे। प्रश्न पत्रों के लिए निर्धारित पाठयक्रम एवं अंक उपरोक्तानुसार ही होंगे।

II. परेड एवं आउटडोर परीक्षा — **75 अंक**

III. रिकार्ड एवं साक्षात्कार — **75 अंक**

....

कुल अंक — 300 अंक

....

पेज नं. 1 से 14

हैड कानिस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक (सीपी)

की योग्यात्मक पदोन्नति परीक्षा पाठ्यक्रम

प्रश्न पत्र – प्रथम – कानून एवं प्रकिया

कुल अंक – 50 | समय–03.00घण्टे

क.सं.	विषय वस्तु	धाराऐं	अंक
1	**भारतीय दण्ड संहिता 1860**		20
	1– सामान्य विवेचन	21 से 25 तक, 34, 52क, 75	04
	2– लोक प्रशान्ति के विरूद्व अपराध	141 से 149 तक, 153क, 159, 160, 283	04
	3– लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता एवं सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराध व सम्पति के विरूद्व अपराध	268 से 279 तक, 292 से 298 तक 336, 337,338,304ए, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 411, 413, 414	04
	4– मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध	299, 300, 302, 304,304ख, 306 से 309 तक,323 से 327 तक, 341, 342, 332, 333, 353 से 354घ तक,	04
	5– अन्य धाराऐं एवं भारतीय दण्ड संहिता में नवीनतम संशोधन	447, 448, 451, 452, 454, 457 से 460 तक, 509, 511,	04
2	**दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973**		15
	1– परिभाषाएं	2	03
	2– वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियॉ, मजिस्ट्रेट एवं पुलिस को सहायता	36, 37	02
	3– व्यक्तियों की गिरफ्तारी	41, 41क, 41ख, 41ग, 41घ, 42, 43	03
	4– वारण्ट एवं उद्घोषणाऐं	82 से 83 तक	03
	5–दस्तावेज व चीजे पेश करने के लिए सम्मन, तलाशी वारण्ट एवं तलाशी सम्बन्धित सामान्य प्रावधान एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं नवीनतम अद्यतन संशोधन	41, 41क, 41ख, 41ग, 41घ, 91, 100, 102	04
3	**साक्ष्य अधिनियम का सामान्य परिचय**		06
	परिभाषा – तथ्य, दस्तावेज, सुसंगत, विवाद्यक तथ्य, साक्ष्य, उपधारणा	3, 5 से 16 तक	02
	स्वीकृति और संस्वीकृति	17 से 32 तक	02
	विशेषज्ञों की राय	45 से 51 तक मय नवीनतम संशोधन	02

भारतीय संविधान और मानवाधिकार		09
भारतीय संविधान	1– मूल अधिकार व मूल कर्त्तव्य 2– पुलिस बल के अधिकारों पर निर्बन्धन 3– मानवाधिकार की अवधारणा और इसका महत्त्व 4– महिलाओं व बच्चों और समाज के कमजोर वर्गों के प्रति उचित उपचार।	05
विभिन्न आयोग	01. राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग, 02. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, 03. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग 04. राष्ट्रीय एवं राज्य महिला आयोग, 05. राष्ट्रीय एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग	04

द्वितीय प्रश्न पत्र– अनसुंधान कार्य

अंक – 50 **(समय–03.00घण्टे)**

I. विभिन्न प्रकरणों का अनुसंधान– **अंक – 04**

01. अनुसंधान का अर्थ व अनुसंधान के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट, कार्यवाही पुलिस, घटना स्थल निरीक्षण, मौके से जब्ती, बयान, पंचायत नामा, फर्द गिफ्तारी, केस डायरी, सफीना तलबी, रिमाण्ड, केस डायरी आदि के संबंध में जानकारी व प्रारूप तैयार करना।

02. मारपीट व बलवा प्रकरणों के सम्पूर्ण अनुसंधान प्रक्रिया की जानकारी – **अंक – 04**

- साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के मुत्यु कालिन कथन लेखबद्व करना, उपयोगिता एवं प्रारूप।

03. आपराधिक अतिचार के प्रकरण के सम्पूर्ण अनुसंधान प्रक्रिया की जानकारी – **अंक – 04**

- ऐसे अनुसंधान में राजस्व रिकार्ड की उपयोगिता ।

04. चोरी प्रकरण के सम्पूर्ण अनुसंधान प्रक्रिया की जानकारी – **अंक – 04**

- साक्ष्य अधिनियम की धारा 27
- फर्द इत्तला फर्द बरामदगी व फर्द बरामदगी स्थल बनाना व इनका महत्व।

05. सड़क दुर्घटना प्रकरण के सम्पूर्ण अनुसंधान प्रक्रिया की जानकारी – **अंक – 04**

- इन प्रकरणो में पंचायतनामा, मोटर वाहन, अधिनियम की धारा 133, 134 का नोटिस देना व इनका महत्व।

II. विविध अधिनियम–

01. आबकारी अधिनियम

अंक – 04

- राजस्थान आबकारी अधिनियम – 1950 धारा 16, 19, 47, 54, 54ए, 66, 66ए
- कार्यवाही हेतु शराब की न्यूनतम मात्रा
- सम्पूर्ण अनुसंधान कार्यवाही की जानकारी

02. जुआ प्रकरण

अंक – 03

- राजस्थान सार्वजनिक जुआ अध्यादेश – 1949 की धारा 3, 4, 5, 13
- सम्पूर्ण अनुसंधान कार्यवाही की जानकारी

03. भारतीय वन अधिनियम

अंक – 03

- भारतीय वन अधिनियम – 1927 की धारा 41, 42, 52, 53, 64, 65
- सम्पूर्ण अनुसंधान कार्यवाही की जानकारी

04. शस्त्र अधिनियम

अंक – 04

- शस्त्र अधिनियम – 1959 धारा 3, 4, 25, 27, 30, 39
- सम्पूर्ण अनुसंधान कार्यवाही की जानकारी

05. मोटर वाहन अधिनियम

अंक – 04

- मोटर वाहन अधिनियम – 1988 एवं नियम – 1989 एवं नियम 1990 धारा 1, 2, 3, 5, 29, 39, 66, 66ए, 120 से 127, 136, 177 से 201, 206, 207
- चैकिंग फर्द बनाना, जुर्माना रसीद बनाना व इस्तगासा बनाना।

06. अन्य अधिनियमों की जानकारी :–

अंक – 02

- ध्वनि प्रदूषण अधिनियम।
- धुम्रपान प्रतिषेध अधिनियम।

III. निरोधात्मक कार्यवाही :–

अंक – 05

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 106 से 110, 116, 122, 133, 145, 151
2. दण्ड प्रक्रिया संहिता 107 में की जाने वाली कार्यवाही, परिस्थितियॉ एवं इस्तगासा तैयार करना।
3. दण्ड प्रक्रिया संहिता 108 में की जाने वाली कार्यवाही, परिस्थितियॉ एवं इस्तगासा तैयार करना।
4. दण्ड प्रक्रिया संहिता 109 में की जाने वाली कार्यवाही, परिस्थितियॉ एवं इस्तगासा तैयार करना।
5. दण्ड प्रक्रिया संहिता 110 में की जाने वाली कार्यवाही, परिस्थितियॉ एवं इस्तगासा तैयार करना।
6. दण्ड प्रक्रिया संहिता 122 में की जाने वाली कार्यवाही, परिस्थितियॉ एवं इस्तगासा तैयार करना।
7. दण्ड प्रक्रिया संहिता 133 में की जाने वाली कार्यवाही, परिस्थितियॉ एवं इस्तगासा तैयार करना।
8. दण्ड प्रक्रिया संहिता 145 में की जाने वाली कार्यवाही, परिस्थितियॉ एवं इस्तगासा तैयार करना।
9. दण्ड प्रक्रिया संहिता 151 में की जाने वाली कार्यवाही, परिस्थितियॉ एवं इस्तगासा तैयार करना।

IV. विधि विज्ञान व कम्प्यूटर का अनुसंधान में उपयोग :–

अंक – 05

1. विधि विज्ञान प्रयोगशाला – सामान्य जानकारी।
2. डी. एन. ए., ब्रेन मैपिंग, नारको टेस्ट की सामान्य जानकारी।
3. मेडिकल व पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट अध्ययन
4. सैलफोन की तकनीक व कॉल डिटेल का विश्लेषण।

तृतीय प्रश्न पत्र – व्यावहारिक पुलिस प्रक्रिया

अंक – 50 (समय–03.00घण्टे)

थाना प्रबन्धन एवं संचालन –

01. **विधिक प्रावधान :** **अंक – 12**

- राजस्थान पुलिस नियम – 1965 के नियम 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.64 में प्रदत्त मुख्य आरक्षी की शक्तियां, ड्यूटी, अधिकार एवं कार्यक्षेत्र आदि।
- राजस्थान पुलिस एक्ट – 2007 धारा 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 55, 59, 60
- राजस्थान पुलिस नियम – 2008 सामान्य जानकारी
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम – 1958 नियम 14, 15, 16, 17, 19

02. **दैनिक कार्यवाही** **अंक – 10**

- रोजनामचा लेखन, ड्यूटी लगाना, रोलकॉल की उपयोगिता, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना
- सूचना डेस्क, महिला डेस्क
- केस ऑफीसर स्कीम, हार्डकोर स्कीम, सी0एल0जी0
- सर्विस, पासपोर्ट, हथियार लाईसेंन्स सत्यापन
- गश्त, नाकाबन्दी, पुलिस रेस्पोन्स टाईम, यातायात नियंत्रण तथा सड़क सुरक्षा के उपाय (जिम्मेदार विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना, दुर्घटना के कारणों का पता लगाना तथा उनका निदान)
- बीट प्रणाली की जानकारी व उपयोगिता – क्षेत्र में महत्वपूर्ण व्यक्तियों, आपराधिक गतिविधियो की जानकारी, बीट में मुखबिर बनाना, क्रिमिनल इन्टेलीजेन्स, बीट का सर्वे, बीट मैप तैयार करना, सजग पड़ोसी योजना, सम्बल योजना, नोकरों का रिकार्ड, सी.पी.ओ., सी.एल.जी. सदस्यों से समन्वय।

03. थाना रिकार्ड का संधारण :– अंक – 08

- थाने के विभिन्न रिकार्ड का संधारण – रोजनामचा, एफ0आई0आर0, जरायम रजिस्टर, वीसीएनबी, इण्डेक्स रजिस्टर, पर्चा ए व बी का संधारण, एक्वीटल रजिस्टर, सम्मन वारंट रजिस्टर व तारीख पेशी रजिस्टर, हथियार रजिस्टर, पासपोर्ट, चरित्र सत्यापन रजिस्टर, परिवाद रजिस्टर, सामान सरकारी रजिस्टर, आवक जावक रजिस्टर, व अन्य रिकार्ड तथा संधारण की उपयोगिता
- राउड़ीशीट, हिस्ट्रीशीट के बारे में सम्पूर्ण जानकारी, हिस्ट्रीशीट के प्रकार, हिस्ट्रीशीट खोलना व बन्द करना, नोट डालना, अपडेट करना, निगरानी करना, उद्घोषित अपराधी बनाने की प्रक्रिया।

04. मालखाने का प्रबन्धन व निस्तारण :– अंक – 08

- मालखाना रजिस्टर का संधारण
- मालखाने में माल का रखरखाव
- मालखाना निस्तारण – जब्तशुदा माल एवं प्राकृत्या क्षयशील वस्तुओं का निस्तारण, विभिन्न शीर्षकों (यथा–मुकदमाती, निर्णयशुदा, एफ0आर0, 102 सीआरपीसी, 38 पुलिस एक्ट, जामा तलाशी इत्यादि) में माल निस्तारण की कानूनी व व्यावहारिक प्रक्रिया। आबकारी अधिनियम में जब्तशुदा माल के निस्तारण हेतु उच्च न्यायालय के निर्देश। एन0डी0पी0एस0 एक्ट में जब्तशुदा माल का निस्तारण।
- निस्तारण हेतु नीलामी प्रक्रिया।

05. पुलिस लाईन के कार्य :– अंक – 06

- चालानी गार्ड, सुरक्षा गार्ड ड्यूटी व अन्य गार्ड ड्यूटीज
- पुलिस लाईन की विभिन्न शाखाओं की जानकारी एवं शाखा प्रभारी के रूप में कार्य

06. सुरक्षा व सतर्कता सम्बन्धी सूचना एकत्रित करना :– अंक – 06

- आसूचना – अभिप्राय व संकलन की विधियॉ
- वीआईपी सुरक्षा
- बी.डी.एस. एवं डॉग स्क्वॉड, एण्टी सेबोटाज चैक
- भीड़ नियंत्रण एवं विभिन्न प्रकार के आन्दोलन

II. परेड एवं अन्य आउटडोर परीक्षा

कुल अंक 75

(क) **स्क्वॉड ड्रिल** 10 अंक

(i) व्यक्तिगत प्रदर्शन–05 अंक

(ii) प्रशिक्षक क्षमता–05 अंक

(ख) **राईफल अभ्यास** 10 अंक

(i) व्यक्तिगत प्रदर्शन–05 अंक

(ii) प्रशिक्षक क्षमता–05 अंक

(ग) **हथियारों की जानकारी , हैण्डलिंग एवं एम्यूनेशन** 10 अंक

(i) .7.62 एम.एम एस.एल.आर, 5.56 एम.एम इन्सास राईफल

(ii) .38'' रिवाल्वर/9एमएम पिस्टल/ग्लोक पिस्टल

(iii) 9.00 एम.एम कार्बाइन

(iv)ए.के. 47 राईफल, 7.62 एम.एम./एल.एम.जी

(घ) **बलवा नियंत्रण उपकरणों की जानकारी एवं म्यूनेशन** 08 अंक

फेडरल रॉयट गैस गन, एन्टी रॉयटगन, 12 बोर पम्प एक्शन गन, अश्रु गैस सैल, अश्रु गैस ग्रेनेड व अन्य म्यूनेशन रबर बुलेट इत्यादि।

(ड़) **बलवा परेड** 07अंक

(च) **विस्फोटक** 05 अंक

विस्फोटकों के प्रकार, बम्ब कैसे बनाया जाता है व बम्ब ब्लास्ट की क्रियाविधि, आईईडी, विभिन्न विस्फोटक डिवाईस,

(छ) **टेक्टिक्स–** **05 अंक**

नाकाबन्दी, तलाशी, रेस्क्यू ऑपरेशन, अंबुश, जीपीएस (मैप रिडींग)

(झ) **पी.टी.** **05 अंक**

(ण) **दौड़** **15 अंक**

(i) **पुरूषों के लिए**

दो किलोमीटर पैदल चलकर या दौड़ कर (खाली हाथ)

(12 मिनिट या उससे कम समय में दौड़ पूरी करने पर 15 अंक तथा हर अतिरिक्त 15 सैकेंण्ड के लिए 1 अंक कम दिया जावेगा)

(ii) **महिलाओं के लिए**

एक किलोमीटर पैदल चलकर या दौड़ कर (खाली हाथ)

(09 मिनिट या उससे कम समय पर दौड़ पूरी करने पर 15 अंक तथा हर अतिरिक्त 15 सैकेंण्ड के लिए 1 अंक कम दिया जावेगा)

III. रिकॉर्ड एवं साक्षात्कार

75 अंक

(क) पीएआर रिपोर्ट — 20 अंक

(पिछले पांच वर्षों की)

(i)	उत्कृष्ट	04 अंक
(ii)	बहुत अच्छा	03 अंक
(iii)	अच्छा	02 अंक
(iv)	संतोषजनक	01 अंक
(v)	असंतोषजनक	शून्य

नोट :–यदि पिछले पांच वर्षो में किसी वर्ष की पी.ए.आर. उपलब्ध नहीं है तो उपरोक्त पांच वर्षो के ठीक पूर्व वर्ष की पी.ए.आर. को शामिल किया जाए।

(ख) पुरस्कार और सजायें — 35 अंक

(अ) पुरस्कार : — अधिकतम 20 अंक

(1)	राष्ट्रपति पुलिस पदक (पी.पी.एम.) शौर्य (गैलेंट्री) के लिए	10अंक
(2)	पीपीएम(बार) शौर्य (गैलेंट्री) के लिए	10 अंक
(3)	पुलिस पदक (पीएम) शौर्य (गैलेंट्री) के लिए	09 अंक
(4)	पीएम(बार) शौर्य (गैलेंट्री) के लिए	09 अंक
(5)	राष्ट्रपति पुलिस पदक विशिष्ट सेवा के लिए	08 अंक
(6)	पुलिस पदक सराहनीय सेवा के लिए	07 अंक
(7)	असाधारण कार्य पुरस्कार	06 अंक
(8)	महानिदेशक पुलिस डिस्क एवं प्रशस्ति पत्र	05 अंक
(9)	सर्वोत्तम सेवा चिन्ह	05 अंक
(10)	अति उत्तम सेवा चिन्ह	04 अंक
(11)	उत्तम सेवा चिन्ह	03 अंक
(12)	नकद पुरस्कार के साथ प्रशस्ति प्रमाण पत्र/प्रशंसा पत्र	
	(i) सरकार/महानिदेशक पुलिस	04 अंक
	(ii) अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस/ महानिरीक्षक पुलिस	03 अंक
	(iii) उप महानिरीक्षक पुलिस/पुलिस अधीक्षक/कमाण्डेन्ट	02 अंक
(13)	नकद पुरस्कार के बिना प्रशस्ति प्रमाण पत्र/प्रशंसा पत्र	
	(i) सरकार/महानिदेशक पुलिस	02 अंक
	(ii) अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस/महानिरीक्षक पुलिस	1½अंक
	(iii)उप महानिरीक्षक पुलिस/पुलिस अधीक्षक/कमाण्डेन्ट	01 अंक

(ब) सजाऐं 15 अंक

विभागीय कार्यवाही में विभिन्न प्रकार के दण्ड के लिए अंकों की कटौती निम्न प्रकार होगी (प्रत्येक दण्डादेश हेतु)

(1)	परिनिंदा	01 अंक
(2)	ग्रेड वेतन वृद्वि रोक(भविष्य प्रभाव के बिना)	02 अंक
(3)	ग्रेड वेतन वृद्वि रोक(भविष्य प्रभाव के साथ)	03 अंक
(4)	वृहद सजाऐं	05 अंक

नोटः– पुरस्कार और दंड के लिए आवंटित 35 अंकों में सें 20 पुरस्कार के लिए और 15 अंक सजाओं के लिए निर्धारित किये गये हैं। पुरस्कार की अच्छी प्रविष्टियों के लिए 20 अंक अधिकतम दिये जाएंगें। पुरस्कार के अंकों की गणना 0 से 20 अकों के आधार पर होगी। सजाओं के अंको की गणना 15 से 0 अंको के आधार पर होगी। यदि किसी उम्मीदवार के रिकॉर्ड पर कोई सजा नहीं है तो वह 15 अंक प्राप्त करेगा। प्रत्येक सजा की प्रविष्टि पर उसके कुल 15 अंको में से कटौती होगी रिवार्ड के कुल 20 अंको में से प्राप्त किये गये अंक तथा सजाओं के कुल 15 अंको में से शेष रहे अंको का जोड उस उम्मीदवार के इस मद में कुल प्राप्त अंक होगे। सजाओं के अन्तर्गत अधिकतम 15 अंक तथा न्यूनतम 0 अंक मिलेंगें। **हैड कानिस्टेबल पदावधि के दौरान मिले हुए पुरस्कार व सजा के अकों की ही गणना की जायेगी।**

(ग) शिक्षा अधिकतम 04 अंक

(कम्प्यूटर, कानून, प्रबंधन, फोरेंसिक विज्ञान)

1.	डिप्लोमा	02 अंक
2.	स्नातक	03 अंक
3.	स्नातकोत्तर	04 अंक

नोट :– **उम्मीदवार को प्रत्येक डिप्लोमा/स्नातक व स्नातकोत्तर डिग्री के लिए अंक दिये जायेंगे लेकिन कुल अंक 4 से अधिक नहीं होंगे। हैड कानिस्टेबल पदावधि के दौरान प्राप्त शिक्षा के अंकों की ही गणना की जायेगी।**

(घ) प्रशिक्षण अधिकतम 06 अंक

1. विशेष प्रशिक्षण जिसकी अवधि कम से कम एक माह या उससे अधिक (प्रत्येक प्रशिक्षण के लिए) — 02 अंक
2. पुलिस प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया हो। — 03 अंक
(स्थानान्तरण नीति के अनुसार एक कार्यकाल लगातार 3 वर्ष के पदस्थापन का होगा। प्रत्येक कार्यकाल के लिए अंक दिये जायेगें। दो कार्यकाल के मध्य स्थानान्तरण नीति के अनुसार 3 वर्ष का अन्तराल (Cooling off) आवश्यक होगा।)

3. हैड कानिस्टेबल पदावधि के दौरान किया हुआ प्रशिक्षण व प्रशिक्षक कार्यकाल के अंको की ही गणना की जायेगी।

नोट :– हैडकानि0 योग्यात्मक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात एवं इस परीक्षा के आयोजन तक प्राप्त समस्त पुरस्कार, सजा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण आदि अंको की गणना में शामिल किया जावेगा। (प्रतिभागी को प्राप्त पुरस्कार/सजा/प्रशिक्षण/शिक्षा आदि के लिये प्राप्त अंकों का लाभ पदोन्नति में एक पद के लिए ही दिया जायेगा।)

(ड़) **साक्षात्कार** **10 अंक**

(1) व्यक्तित्व
(2) एप्टीट्यूड
(3) नेतृत्व के गुण
(4) सामान्य ज्ञान (जनरल अवेयरनेस)
(5) सम्प्रेषण क्षमता

5/6/17

महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान जयपुर।